न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
(पीठासीन न्यायाधीशः आर.के.अग्रवाल)

Cr. Miscellaneous Judicial Case No. 02/2018.
U/S 408 Cr.P.C.

श्रीमती तरुणा तिवारी, उम्र लगभग 55 वर्ष,
पति श्री गोविन्द प्रसाद तिवारी, निवासी–
म.नं. सी.एच–133/134, वार्ड नं.–20,
आदित्य नगर, थाना मोहननगर, जिला दुर्ग
(छ.ग.) **आवेदिका/अभियुक्ता**

बनाम

छत्तीसगढ़ शासन
व्दारा–जिला दण्डाधिकारी,
जिला दुर्ग छ.ग. **अनावेदक/अभियोजन**

———————————————————————

आदेश
(आज दिनांक 08–02–2018 को पारित)

08–02–2018. आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से श्री तरुण सरकार, अधिवक्ता ।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री सुदर्शन महलवार, लोक अभियोजक ।

1. आवेदिका के अंतरण आवेदन से संबंधित सत्र प्रकरण क्रमांक 02/2017 (पुलिस थाना–मोहननगर, जिला दुर्ग (छ.ग.) का अपराध क्रमांक 501/2016) राज्य विरुध्द नीतिश तिवारी एवं अन्य, अपराध अंतर्गत धारा 304 (बी)/34 भारतीय दण्ड संहिता का अभिलेख अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छ.ग.) के न्यायालय से प्राप्त । आवेदिका के अंतरण आवेदन के संबंध में श्री दीपक के.गुप्ता, अष्टम

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छ.ग.) की टिप्पणी दिनांकित 03–02–2018 भी प्राप्त।

2. आवेदिका के अंतरण आवेदन, अंतर्गत धारा 408 दण्ड प्रक्रिया संहिता, पर उभयपक्ष का तर्क सुना गया।

3. श्री दीपक के.गुप्ता, अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छ.ग.) के न्यायालय में लंबित सत्र प्रकरण क्रमांक 02/2017, राज्य विरुध्द नीतिश तिवारी एवं अन्य, अपराध अंतर्गत धारा 304 (बी)/34 भारतीय दण्ड संहिता में नियत पेशी तारीख दिनांक 21–12–2017 एवं दिनांक 22–12–2017 को हुई कार्यवाहियों, एवं दिनांक 22–12–2017 को पीठासीन अधिकारी व्दारा बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं अभियुक्तगण के साथ किये गये व्यवहार, अभियोजन के प्रति पीठासीन अधिकारी के झुकाव एवं अभियुक्तगण को उनके मनपसंद अधिवक्ता से पैरवी कराने के अधिकार से वंचित किये जाने हेतु की जा रही पक्षपातपूर्ण कार्यवाही को आधार बनाते हुए, उक्त न्यायालय से निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के आधार पर उपरोक्त सत्र प्रकरण को किसी अन्य अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अंतरित करने की प्रार्थना की गई है ।

4. अनावेदक/राज्य की ओर से लोक अभियोजक ने आवेदक के अंतरण आवेदन का मौखिक विरोध किया।

5. अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छ.ग.) के न्यायालय से प्राप्त सत्र प्रकरण क्रमांक 02/2017, राज्य विरुध्द नीतिश तिवारी एवं अन्य, एवं उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी दिनांकित 03–02–2018 का अवलोकन किया गया ।

6. अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छ.ग.)

ने अपनी टिप्पणी दिनांकित 03–02–2018 में यह लेख किया है कि, उपरोक्त सत्र प्रकरण में अभियोजन साक्षी दिन को लगभग 11 बजे न्यायालय में साक्ष्य देने हेतु उपस्थित होते रहे हैं, किन्तु बचाव पक्ष के अधिवक्ता के विलम्ब से आने के कारण साक्ष्य विलम्ब से प्रारंभ होने के कारण साक्षियों के प्रतिपरीक्षण भी आगामी तिथि के लिए स्थगित होते रहे हैं । न्यायालय व्दारा बचाव पक्ष के अधिवक्ता को समय पर उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया था, किन्तु दिनांक 22/12/2017 को भी वे काफी विलम्ब से उपस्थित हुए, जिसके कारण उक्त दिनांक को अन्य न्यायालयीन कार्य भी प्रभावित हुआ, इस पर अभियुक्तों को समय पर अपने अधिवक्ता को उपस्थित रखने के लिए कहा गया था, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा गया था ।

7. सत्र प्रकरण कमांक 02/2017, राज्य विरुध्द नीतिश तिवारी एवं अन्य के साक्ष्य पत्रिका और आदेश पत्र दिनांकित 21–12–2017 एवं दिनांक 22–12–2017 के अवलोकन से यह प्रकट हुआ कि, दिनांक 21–12–2017 को साक्षी आनंद अग्रवाल (अ.सा.नं.7) का परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण किया गया है और उसमें लगने वाला समय 12.00 से 12.10 बजे तक साक्ष्य पत्रिका में अंकित किया गया है । उसी दिन 12.15 बजे साक्षी प्रफुल्ल तिवारी (अ.सा.नं.8) का मुख्य परीक्षण आरम्भ होना और चायकाल का समय हो जाने से 02.05 बजे उसका प्रतिपरीक्षण स्थगित किया जाना, और तत्पश्चात् 04.15 बजे इस साक्षी का शेष प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया जाना और शाम 05.10 बजे प्रतिपरीक्षण स्थगित किया जाना साक्ष्य पत्रिका में अंकित किया गया है । उसके पश्चात् दिनांक 22–12–2017 को 1.50 बजे इसी साक्षी का शेष प्रतिपरीक्षण

प्रारंभ किया जाना और चायकाल का समय हो जाने से 02.10 बजे उसका प्रतिपरीक्षण स्थगित किया जाना, और तत्पश्चात् 2.45 बजे इस साक्षी का शेष प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया जाना और बचाव पक्ष के अधिवक्ता व्दारा उस दिन साक्षी का साक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाना बताये जाने, और अन्य सत्र प्रकरण में भी साक्षी उपस्थित होने से इस साक्षी का प्रतिपरीक्षण 04.40 बजे स्थगित किया जाना साक्ष्य पत्रिका में अंकित किया गया है ।

8. इस प्रकार पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी दिनांकित 03–02–2018 के तारतम्य में यही प्रतीत होता है कि दिनांक 22–12–2017 को बचाव पक्ष के अधिवक्ता न्यायालय में जब उपस्थित हुए, तभी उस दिन साक्षी प्रफुल्ल तिवारी (अ.सा.नं.8) का शेष प्रतिपरीक्षण दोपहर 01.50 बजे आरम्भ हो सका ।

9. सत्र प्रकरण क्रमांक 02/2017, राज्य विरुध्द नीतिश तिवारी एवं अन्य के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि इस प्रकरण में ऐसी कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके कारण विचारण न्यायालय को अभियुक्तों के प्रति किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होना माना जा सके ।

10. पक्षकार के मन में मात्र संदेह या आशंका उत्पन्न होना प्रकरण के अंतरण के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता ।

11. अंतरण आवेदन में विचारण न्यायालय पर लगाये गये आक्षेप, अभिलेख के विपरीत होने से आधारहीन प्रतीत होते हैं । अतः आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन–पत्र, अंतर्गत धारा 408 दण्ड प्रकिया संहिता, अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है ।

12. इस आदेश पत्र की प्रतिलिपि के साथ, अष्टम

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के न्यायालय से प्राप्त अभिलेख उनके न्यायाालय को तत्काल वापस लौटा दिया जावे ।

13. इस एम.जे.सी. का परिणाम दर्ज कर इसे अभिलेखागार में जमा किया जावे ।

सही/–
(आर.के.अग्रवाल)
सत्र न्यायाधीश, दुर्ग
(छत्तीसगढ़)

प्रमाण–पत्र
मैं पुष्टि करता हूं कि इस पी.डी.एफ. फाईल की अन्तर्वस्तु अक्षरशः वैसी ही है, जो मूल आदेश में टंकित की गई है ।
1. स्टेनोग्राफर का नाम– सी.एस.सेंगर.